संख्याः /VII-1/2017-30 (सिडकुल)/2017

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2 देहरादूनः दिनांकः 10 नवम्बर, 2017

विषयः- उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) के नियमित सेवारत कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों की भांति दिनांक 01.01.2016 से सातवां वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या-291/XXVII(7)30(8)/2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या-727/सिडकुल/सी0आर/2017, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) के नियमित रूप से कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सातवां वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. उक्त अधिसूचना संख्या-290, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में संलग्न वेतन मैट्रिक्स में प्रति स्थापित वेतन इस प्रतिबन्ध एवं शर्त के साथ अनुमन्य किया जाता है कि इस सम्बन्ध में होने वाला कोई भी परिवर्तन शासन की अनुमति से ही किया जाएगा।
2. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) में सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप अवशेष वेतन का भुगतान दिनांक 01.01.2017 से नकद देय होगा तथा दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक का अवशेष वेतन एवं एरियर के भुगतान हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे।
3. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) के कार्मिकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0एस0) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-11/XXVII(7)/30(14)/2017 दिनांक 17.02.2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।
4. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) की सीधी भर्ती के पदों को फ्रीज करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती/चयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि परियोजना के संचालन हेतु कार्मिकों की आवश्यकता है एवं जिन पदों पर चयन की प्रकिया गतिमान है, ऐसे पदों पर भर्ती/चयन हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए आवश्यक पदों पर ही भर्ती/चयन की कार्यवाही की जाय, जिन पदों पर आउटसोर्स से तैनाती का कार्य लिया जा रहा है ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार नियत मानदेय का भुगतान किया जाय, भविष्य में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) में स्वीकृत पदों की परिधि में ही आउटसोर्स कार्मिकों की तैनाती की जायेंगी।

---:2---

5. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) के कार्मिकों को सातवां वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्यय–भार उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) द्वारा स्वंय अपने संसाधनों से वहन किया जाएगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी और न ही राज्य सरकार से पुनरीक्षित वेतनमान की अन्तर की धनराशि की मांग की जाएगी। उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) द्वारा मितव्ययता सुनिश्चित करते हुए आय हेतु अपने संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या–275/XXVII(10)/2017, दिनांक 01 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीया,

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव।

संख्या– 733 (1)/VII–1/2017–30 (सिडकुल)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी–सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव।